



10  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-  
Ref.No.: G0726 /O.A. No. 463/2024

दिनांक:-  
Date: 19 .07.2024

To,

The Registrar,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Copernicus Marg,  
New Delhi.  
E-mail-judicial-ngt@gov.in

**Sub:-** Submission of status report in pursuant to order dated 07.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 463/2024, Sampurna Nand Vs M/s Rauf Khan & Ors.


Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 07.05.2024 in the matter of O.A. No. 463/2024, Sampurna Nand Vs M/s Rauf Khan & Ors, the status report is being filed herewith.

It is requested that status report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

**Encl.:** As above.

Yours faithfully,

  
(U.K. Gupta)  
Regional Officer  
Sonbhadra.

**Endt. No. & date as above.**

**Copy to:-**

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

  
Regional Officer  
Sonbhadra.

Status Report in pursuant to order dated 07.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of OA No.463/2024 Sampurna Nand vs. M/s Rauf Khan & Ors.

1. As per joint committee report dated 06.07.2023 and dated 06.01.2024,UPPCB had issued Show-Cause Notice to the said Stone Crushers vide Letter dated-12.01.2024, which was got received to concerned Stone Crusher on dated 19.01.2024(Annexure-1).
2. The presentation sent by the industry against show-cause notice was not received in the Regional Office, UPPCB, Sonbhadra.
3. UPPCB conducted field visit on dated 08.02.2024 to verify complying status of CTO and observed that the following major air pollution control measures have been adopted by the industry:-

S.NO.	Major Air Pollution Control measures	Installation Status	Remark and Action Taken
1.	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points.	Partially Covered	As inspection report dated 08.02.2024, UPPCB issued closure order on dated 19.02.2024 after confirmation of show-cause notice and revoking the CTO. UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry.
2.	Covering of all conveyor belts.	NO	
3.	Telescopic discharge chute or Canvas cloth / plastic drum	NO	
4.	Wind breaking wall around the premises.	NO	
5.	Water sprinklers at emitting point and wind breaking wall.	NO	
6.	Smog gun and Rain Gun as dust suppression mechanism.	NO	
7.	Height of exhaust pipe of DG Set.	NO	

4. Detail Inspection report dated-08.02.2024 is attached herewith (Annexure-2).

5. As per inspection report dated 08.02.2024, UPPCB issued closure order on dated 19.02.2024 after confirmation of show-cause notice and revoking the CTO. However, UPPCB has imposed the environmental compensation of Rs 3,00,000/- on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry(Annexure-3 & 4).
6. The presentation of the industry against closure order dated 19.02.2024 has not received.

The above accordingly, status reportis being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 19.07.2024



(U.K. Gupta)

Regional Officer

U.P.P.C.B

Sonbhadra



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

1705605-K-2/NCAT-67/SCN/24

सेवा में

दिनांक

Date 12-1-24

पंजीकृत

M/S RAUF KHAN,  
BHAGAUTI DEL CHUNAR,  
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

V. Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226 010

Phone : 0522 2720828, 2720831

Fax : 0522 2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

ए.ए.ए. वि.ए.ए.

कुल्लु

19-1-2024

कुल्लु

मंजूर



**क्षेत्रीय कार्यालय,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र**  
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD,  
SONBHADRA

संदर्भ सं० जी००५/०११०-५२१/५.८/२०२४

दिनांक-०८.०२.२०२४

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-२)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी०-१२ वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

**विषय:** मेसर्स रउफ खान, ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१(यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के संदर्भ संख्या-एच०५६८५/सी-२/एन०जी० टी०-६७/एस०सी०एन०/२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से संदर्भित उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम १९८१ (यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी है एवं अधोहस्ताक्षरी को अद्यतन निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देशों के साथ पृष्ठांकित है। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-०८.०२.२०२४ को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूलरूप में सादर अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार, उद्योग को सहमति आदेश निर्गत होने के पश्चात की उद्योग में कार्य बन्द किये जाने की सूचना प्राप्त नहीं होने तथा पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण उद्योग का संचालन में होना सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन होने का परिचायक है। तत्क्रम में उद्योग को राज्य बोर्ड से जारी सहमति आदेश दिनांक-१९.१०.२०२२ को इस कार्यालय के पत्र दिनांक-०८.०२.२०२४ द्वारा रिवोक किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस पत्र के साथ संलग्न विस्तृत निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स-रउफ खान, ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम १९८१ (यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक-१२.०१.२०२४ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है तथा उद्योग पर ४८ दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू० ०३,००,०००.०० (तीन लाख रुपये मात्र) धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

  
(यू०के० गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या १६२ उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल), राबर्ट्सगंज, सोनभद्र-२३१२१६

House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel) Robertsganj, Sonbhadra-231216

Email-rosombhadra@uppcb.in

मेसर्स रऊफ खान, ग्राम-भगौतीदेई, पो0-पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या:-

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रकरण में आच्छादित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु जिलास्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 तक के मध्य की अवधि में किया गया था। तत्क्रम में निरीक्षण आख्या के आधार पर उद्योग को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-HO5685/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो उद्योग को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है। तत्पश्चात् उद्योग को निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त करायी जा चुकी है। अग्रेतर उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं है। उद्योग का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. उक्त उद्योग ग्राम-भगौतीदेई, पो0-पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के आ0सं0-180/2 पर होना सूचित है। उद्योग का जिओ को-आर्डिनेट्स **25.047862**-अक्षांश एवं **82.982354**-देशान्तर है।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्टर्स का प्रयोग कर विभिन्न साईज की स्टोन ग्रिट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की स्टोन ग्रिट की उत्पादन क्षमता 40,000 टन/वर्ष सूचित है। उद्योग संचालित अवस्था में नहीं पाया गया।
3. निरीक्षण के समय उद्योग के संयंत्र यथा-प्राइमरी 'जॉ' क्रशर, सेकेण्ड्री 'जॉ' क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर आंशिक कवर्ड पाये गये। डस्ट उत्सर्जन के स्रोत यथा-कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर कैनवास क्लथ/टेलिस्कोपिक सूट की स्थापना निरीक्षण के समय नहीं पायी गयी।



4. उद्योग में कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर वॉटर स्प्रींकलिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी। वॉटर स्प्रींकलिंग में प्रयुक्त जल खपत की मात्रा के मापन हेतु फ्लो मीटर निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी।
5. उद्योग परिसर में मेटल/कंक्रीट रोड का निर्माण नहीं पाया गया। उद्योग में विण्ड ब्रेकिंग वाल स्थापित नहीं पायी गयी।
6. उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया, किन्तु राज्य बोर्ड के आदेश दिनांक-16.02.2018 के अनुपालन में सहमति शर्तों के अनुरूप उद्योग परिसर में हरित पट्टिका विकसित नहीं पायी गयी।

*(Handwritten signature)*

क्रमशः 2/पर....

(2)

7. उद्योग में विद्युत आपूर्ति हेतु 160 केवीए0 क्षमता का एक अदद डी0जी0 सेट स्थापित पाया गया। डी0जी0 सेट के संचालन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु इक्जॉस्ट पाइप की ऊँचाई राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी।
8. उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उद्योग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। उद्योग को सहमति आदेश निर्गत होने के पश्चात् की उद्योग में कार्य बन्द किये जाने की सूचना प्राप्त नहीं होने तथा पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण उद्योग का संचालन में होना सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन होने का परिचायक है।
9. उद्योग का निरीक्षण पूर्व में समिति द्वारा किया गया था। समिति की आख्यानुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को स्थापित किये बिना उद्योग संचालित किये जाने एवं सहमति शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-HO5685/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
10. उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-12.01.2024 के अनुक्रम में उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
11. उद्योग द्वारा उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश (जल एवं वायु) दिनांक-19.10.2022 में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं पाये जाने के आलोक में उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ सं0-167231/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 दिनांक-19.10.2022 द्वारा जारी सहमति आदेश को रिवोक इस कार्यालय के पत्र दिनांक-08.02.2024 द्वारा किया जा चुका है।
12. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के प्रकरण में उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक-19.06.2023, 29.06.2023 एवं 01.07.2023 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। तत्क्रम में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 के अनुसार उद्योग में पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग संचालन अवस्था में पाया गया था। तत्पश्चात् जिलास्तरीय समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023, दिनांक-29.12.2023 एवं दिनांक-30.12.2023 को किया गया। तत्सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.01.2024 के अनुसार उद्योग संचालित अवस्था में नहीं पाया गया। उक्त प्रकरण में उद्योग की प्लाण्ट एवं मशीनरी को दिनांक-23.08.2023 को सील किया गया था। उक्त के पश्चात् उद्योग की सील वर्तमान निरीक्षण तिथि तक सुरक्षित पायी गयी। समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 से दिनांक-23.08.2024 तक अर्थात् 48 दिनों की अवधि को डिफाल्टर अवधि में गणना किया जाना उचित है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक-08.02.2019 के अनुसार के अनुसार उद्योग पर डिफाल्टर अवधि अर्थात् 48 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगा:-

**Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).**



क्रमशः 3/पर....

(3)

Where,

**PI=50 (Pollution Index=50 for orange category unit)**

**N =48** (No. of days from which the non-compliance has been observed)

**R = 250** (R factor in Rupees)


**S = 0.5** (Factor for scale of operation=**0.5** as investment of unit is less than Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)

**LF=1.0** (Location Factor= **1.0** as population of Sonpur, Bhagautidei, Chakjata etc., Chunar, Mirzapur is below 10 lac. (LF is 1.0 for population less than 10 lac)

Therefore,

$$\begin{aligned} \text{Environmental Compensation(EC)} &= \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF} \\ &= 50 \times 48 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 \\ &= \text{Rs. 3,00,000/- (Rs. Three Lacs) only.} \end{aligned}$$

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स रऊफ खान, ग्राम-भगौतीदेई, पो0-पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-HO5685/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है। अग्रेतर उक्त गणनानुसार उद्योग पर 48 दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 3,00,000.00 धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

  
08/02/2024  
(यू0के0 गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी



Annexure No.3  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

सेवा में,

M/S RAUF KHAN,  
BHAGAUTI DEL. CHUNAR,  
MIRZAPUR.

दिनांक

Date

19-2-24

पंजीकृत

यह कि M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com Stone closure order

संदर्भ सं०

Ref. No

सेवा में,

H.07243 /C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date: 19-02-2024

M/S RAUF KHAN,  
BHAGAUTI DEL. CHUNAR,  
MIRZAPUR.

विषय: M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEL. CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 48 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 3,00,000/- (रू० तीन लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEL. CHUNAR, MIRZAPUR. पर रू० 3,00,000/- (रू० तीन लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com